


वह उत्तम और बुद्धिमान है, जो सच बोलता है, धर्म के अनुसार काम करता है और दूसरों को खुरा करने का प्रयास करता है।

जेपीसी ने दो साल के विमर्श के बाद व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जो विपक्ष के कुछ सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद अहम कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे निजता के संरक्षण के साथ ही लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी।

डाटा संरक्षण के लिए



बाद ही विधेयक का पूरा स्वरूप स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन हाल ही में पेगासस स्पाईवेयर का मामला सामने आने के बाद इस विधेयक का महत्व समझा जा सकता है। बेशक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के साथ ही व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर कई कानून मौजूद हैं, लेकिन व्यक्तिगत डाटा संरक्षण की जरूरत बढ़ती जा रही है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले अहम फैसले में डाटा संरक्षण के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया था, यह बिल उसी की

परिणित है। जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही सोशल मीडिया का विस्तार हुआ, उसमें व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा एक अहम मसला बन गया है। समिति ने पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, रॉ, आईबी और यआईएडीआई सहित सरकार और उसकी एजेंसियों को राष्टीय सुरक्षा और जनहित के लिए प्रस्तावित डाटा संरक्षण कानून के दायरे से बाहर रखा है। इस प्रावधान को मनमाना बताते हुए समिति के अनेक विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि इससे सरकार को असीमित अधिकार मिल जाएगा और वह किसी भी सरकारी एजेंसी को इस कानून के दायरे से बाहर कर सकती है। इसका यह मतलब भी हुआ कि सरकारी एजेंसियां बिना पूर्वानुमित के व्यक्तिगत डाटा का इस्तेमाल अपनी जांच में कर सकती हैं। जाहिर है, डाटा संरक्षण की दिशा में यह नाज़्क मसला है कि किन जानकारियों को व्यक्तिगत माना जाए और किन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के दायरे में। मगर एक पक्ष यह भी है कि सोशल मीडिया कंपनियों ने व्यक्तिगत डाटा के दुरुपयोग



को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रस्तावित कानून में उन्हें जिम्मेदार बनाने का प्रावधान है, जो अंततः व्यक्तिगत डाटा संरक्षण में सहायक होगा। चूंकि जेपीसी ने कुछ असहमतियों के बावजूद इसे मंजूरी दी है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि अपने अंतिम स्वरूप में यह विधेयक व्यक्तिगत डाटा संरक्षण को पुख्ता करने के साथ ही लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा।

भारतीय शहरों की योजना कौन बनाता है

शहरी नियोजन के लिए अधिकांश राज्य केंद्र सरकार के 1960 के मॉडल टाउन ऐंड कंट्री प्लानिंग कानून पर निर्भर हैं, जो स्वयं 1947 के ब्रिटिश टाउन ऐंड कंट्री प्लानिंग ऐक्ट से लिया गया है, जबिक ब्रिटेन में भी इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है।

ब भी हमारे शहर किसी बड़े संकट का सामना करते हैं. जैसे हाल ही में चेन्नई में बाढ आई थी, तो भारत में शहरी नियोजन की 'अव्यवस्थित' स्थिति आदतन बहस का विषय बन जाती है। चूंकि शहरी नियोजन और उसके प्रवर्तन को भारत के 'निष्क्रिय' शहरों का गुनहगार बताया

जाता है, इसलिए वर्तमान शहरी नियोजन व्यवस्था को रेखांकित करने वाली जड़ों की जांच करना महत्वपूर्ण है। शहर की योजना बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत के शहरी नियोजन कानूनों और प्रक्रियाओं को वैसे ही क्यों बनाया गया है, जैसे वे हैं?

हालांकि भारत की सांविधानिक व्यवस्था में, शहरी नियोजन स्थानीय



मेथ्यू इडिकुला

निर्वाचित सरकारों का कार्य है, पर भारतीय शहरों में नियोजन का कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकार के तहत गैर-प्रतिनिधि नौकरशाही एजेंसियों द्वारा किया जाता है। भारत की स्थानीय शासन प्रणाली में 1992 में सांविधानिक सुधारों (73वें और 74वें संशोधन के रूप में) के साथ ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों को 'स्वशासी संस्थाओं' के रूप में काम करने के लिए सशक्त बनाने के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 74वां संशोधन निर्वाचित नगर पालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय और 12वीं

अनुसूची के तहत सूचीबद्ध विषयों के लिए योजनाओं को तैयार करने और लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का नियमन और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध पहले तीन विषय हैं। इसके अलावा, 74वां संशोधन दस लाख से अधिक की आबादी वाले महानगरीय शहरों के लिए एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (एमपीसी) के निर्माण को अनिवार्य बनाता है, जिसमें कम से कम दो-तिहाई सदस्य चुने हए स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, ताकि स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को शामिल करते हुए महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार की जा सके। इसलिए, सांविधानिक सुधारों ने निर्वाचित नगर पालिकाओं को शहरी नियोजन के कार्य के साथ-साथ एमपीसी के साथ जोड़ा है, जो बड़े क्षेत्र के लिए



योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, नगरपालिका सरकार या एमपीसी के बजाय ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित विकास प्राधिकरण हैं, जो मुख्य रूप से भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों में शहरी नियोजन का कार्य करते हैं। विकास प्राधिकरण वैधानिक एजेंसियां हैं, जो शहर में ढांचागत विकास और आवास परियोजनाओं के साथ-साथ शहरी नियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। ये नौकरशाही की एजेंसियां हैं, जिनकी किसी स्थानीय प्रतिनिधि या स्थानीय सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये एजेंसियां मास्टर प्लान तैयार करती हैं, जो हर 10-20 वर्षों में शहर भर में भूमि उपयोग और विकास को नियंत्रित करती हैं।

भारत की वर्तमान शहरी नियोजन प्रणाली की उत्पत्ति 1896 में बंबई में आए बुबोनिक प्लेग की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित योजना संस्थानों और कानूनों के कारण हुई है। प्लेग की शुरुआत तक, ब्रिटिश मुख्य रूप से छावनी और आसपास के सिविल लाइंस के प्रशासन से मतलब रखते थे, जहां वे रहते थे। हालांकि प्लेग से बंबई की लगभग छह प्रतिशत आबादी की मौत हुई और शहर में व्यवसाय ठप हो गया, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने पूरे शहर में दखल देकर उसे विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की। बॉम्बे इम्प्रवमेंट ट्रस्ट 1898 में बनाया गया था। यह ट्रस्ट भौतिक योजना बनाने, नई सडकें बनाने, घरों के निर्माण और बीमारियों के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से भीड़भाड़ वाले इलाकों को कम करने के लिए जवाबदेह था। औपनिवेशिक सरकार का मानना था कि जिन इलाकों में भारतीय रहते थे, वहां की भीड़भाड़ और अस्वच्छ स्थिति प्लेग के प्रसार का मुख्य कारण थी और इसलिए ट्रस्ट को शक्तिसंपन्न बनाकर मलिन बस्तियों को ध्वस्त करने और सुधारने का काम सौंपा गया।

ऐसे ट्रस्ट बाद में कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे विभिन्न शहरों में स्थापित किए गए थे। ये ट्रस्ट नगर निगमों से स्वायत्त और समानांतर रूप से काम करते थे। ऐसे ट्रस्टों के संचालन ने सुनिश्चित किया कि औपनिवेशिक नौकरशाही निर्वाचित नगरपालिकाओं के हस्तक्षेप के बिना शहरी विकास को निर्देशित और विनियमित कर सके। यह प्रथा उत्तर-औपनिवेशिक विरासत बन गई, जिसमें सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट विकास प्राधिकरण बन गए।

समय के साथ विकास प्राधिकरण शक्तिशाली बनते गए और स्थानीय सरकारों को सत्ता विकेंद्रित करने का सांविधानिक हस्तक्षेप नौकरशाही की शक्ति संरचना को ध्वस्त नहीं कर पाया, जो राज्य में अंतर्निहित हो गया। 74वें संशोधन के पारित होने के करीब तीन दशक बाद, शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरणों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में लोकतांत्रिक नियोजन प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। शहरी नियोजन के लिए अधिकांश राज्य केंद्र सरकार के 1960 के मॉडल टाउन ऐंड कंट्री प्लानिंग कानून पर निर्भर हैं, जो स्वयं 1947 के ब्रिटिश टाउन ऐंड कंट्री प्लानिंग ऐक्ट से लिया गया है, जबकि ब्रिटेन में भी इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है।

जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा ज्यादा गतिशील नियोजन प्रक्रियाओं को अपना रहा है, भारत में नियोजन व्यवस्था 'मास्टर प्लान' पर टिकी है, जो सैद्धांतिक रूप से शहर में किसी भी विकास को निर्धारित और नियंत्रित करती है। हालांकि, राज्य नियोजन कानूनों के अनुसार, मास्टर प्लान ज्यादातर भूमि-उपयोग और इमारतों को विनियमित करने के लिए एक स्थानिक उपकरण है और योजना में परिवहन या पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही इन क्षेत्रों को योजना दस्तावेज में शामिल किया गया हो, जैसा कि कुछ नए मास्टर प्लान करते हैं, पर ऐसे प्रावधान कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। इस तरह योजना शहर के आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक जैसे विभिन्न श्रेणियों के सख्त विभाजन पर केंद्रित है। ऐसी योजना प्रणाली भारत की शहरी वास्तविकताओं के बारे में बहत कम बात करती है, जिसकी विशेषता विविधता और गतिशील स्थान हैं, जिसके चिरत्र में ऐतिहासिक रूप से स्थानों का मिश्रित उपयोग है। नतीजतन, भारतीय शहरों में कागज पर योजना और जमीन पर निर्मित रूप के बीच विशाल विरोधाभास आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए।

-लेखक अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो हैं।



मणिपुर के राजकुमार टिकेंद्रजीत सिंह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी योजना के घनघोर विरोधी थे। वर्ष 1891 के आंग्ल-मणिपुर युद्ध में भले ही अंग्रेज विजयी हुए, लेकिन उस युद्ध में टिकेंद्रजीत सिंह ने अंग्रेजों का बेहद बहादुरी से मुकाबला किया था।

मणिपुर के शेर टिकेंद्रजीत सिंह

तंत्र मणिपुर रियासत के राजकुमार टिकेंद्रजीत सिंह महाराजा चंद्रकीर्ति सिंह और चोंगथम चानु कूमेश्वरी देवी की चौथी संतान थे, जिनका जन्म 19 दिसंबर, 1856 को हुआ था। वर्ष 1824-26 में हुए आंग्ल-बर्मा

युद्ध में मणिपुर ने अंग्रेजों की मदद से बर्मा पर कब्जा कर लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों का मणिपुर पर परोक्ष अधिकार हो गया। वर्ष 1835 में अंग्रेजों ने मणिपुर में अपना एक राजनीतिक एजेंट तैनात कर दिया। वर्ष 1886 में महाराजा चंद्रकीर्ति सिंह की मृत्यु होने पर उनके बड़े बेटे सुरचंद्र सिंह को राजगद्दी मिली और बाकी राजकुमारों को उत्तराधिकारी, सेनापति, पुलिस प्रमुख आदि नियुक्त किया गया। इस बीच, अंग्रेजों ने मोटे ब्याज पर मणिपुर के राजा और राजपरिवार को कर्ज देना शुरू किया था। इस तरह वे राज्य पर अपना अधिकार

> कायम करते रहे। राजकुमार टिकेंद्रजीत अंग्रेजों की इस नीति के विरुद्ध थे। दिसंबर, 1890 में उन्होंने दो अन्य राजकुमारों के साथ मिलकर अपने बड़े भाई राजा सुरचंद्र सिंह के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें गद्दी से हटा दिया। मंझले भाई कुलाचंद्र राजा बने और टिकेंद्रजीत सिंह उनके उत्तराधिकारी।

उधर सुरचंद्र सिंह ने न सिर्फ अंग्रेजों के यहां शरण ली, बल्कि राजगद्दी वापस पाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक याचिका दी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंड्सडाउन ने हालांकि कुलाचंद्र सिंह को राजा बनाए रखने का आदेश जारी किया, लेकिन उत्तराधिकारी पद से टिकेंद्रजीत सिंह को हटाने का निर्देश जारी किया, क्योंकि वह महान देशभक्त और ब्रिटिश

> साम्राज्यवादी योजना के घोर विरोधी थे। अंग्रेजों ने उनकी तुलना खतरनाक बाघ से की थी। अंग्रेजों ने राजा कुलाचंद्र पर दबाव डाला कि वह टिकेंद्रजीत को उन्हें सौंप दें। पर राजा को यह मंजूर नहीं था। नतीजतन अंग्रेजों ने टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार करने

का फैसला लिया। 24 मार्च, 1891 को ब्रिटिश सैनिकों ने टिकेंद्रजीत के निवास कांगला दुर्ग पर हमला बोला। तब वहां रासलीला का प्रदर्शेन हो रहा था। रासलीला देख रही अनेक महिलाएं, बच्चे तथा निर्दोष लोग हमले में मारे गए। मणिपुरी सेना ने जवाबी हमला बोला, जिससे अंग्रेज सैनिकों को पीछे हटना पडा। पांच अंग्रेज अधिकारियों को भागकर राजमहल के तहखाने में शरण लेनी पड़ी। लेकिन अपने परिजनों की हत्या से बौखलाए स्थानीय लोगों

उन पांचों को मार गिराया। नतीजतन दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया। टिकेंद्रजीत सिंह ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला किया। बहुत संघर्ष के बाद अंग्रेज उस युद्ध में विजयी हुए। 27 अप्रैल, 1891 को अंग्रेजों ने कांगला दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। एक विशेष आयोग ने अपनी जांच शुरू की, जिसमें राजा कुलाचंद्र, उत्तराधिकारी टिकेंद्रजीत और उनके सहयोगी थंगाल जनरल को दोषी पाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कुलाचंद्र ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की, लिहाजा उन्हें आजीवन कारावास में कालापानी भेज दिया गया। टिकेंद्रजीत भूमिगत हो गए, पर अंग्रेजों ने उन्हें ढुंढ निकाला और 13 अगस्त को इंफाल के पोलो ग्राउंड में थंगाल जनरल के साथ फाँसी दे दी। बाद में उस ग्राउंड का नाम वीर टिकेंद्रजीत सिंह पार्क कर दिया गया। उस युद्ध में शहीद होने वाले नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 13 अगस्त को मणिपुर में 'देशभक्त दिवस' मनाया जाता है। इंफाल में टिकेंद्रजीत सिंह के नाम से एक विश्वविद्यालय है। तुलीहल अंतरराष्ट्रीय हवाई

अङ्डे का नाम बदलकर वीर टिकेंद्रजीत अंतरराष्ट्रीय हर्वाई अङ्डा किया गया है।



(1906-1995)



मैंने कई बार उन पंक्तियों को स्वयं ही पढ़ा, गाया, गुनगुनाया, दोहराया, देखा और चूमा भी। तब मन की गहराई से यह भाव उजागर हुआ-'ओह, मैं तो कवि हूं।'

मैंने अपना

'प्रभाकर',

हो रहा था।

'उपनाम' भी

चुन लिया था-

क्योंकि तब मैं

सर्य के समान

'तेंजस्वी' प्रतीत

पढ़ाई से ज्यादा में कविता के बारे में सोचता था

मेरी जन्मभूमि देवबंद (जिला-सहारनपुर) में भाई ब्रह्मदत्त शर्मा 'शिशु' जी जन्मजात कवि थे-वह कवि भी थे और गायक भी। वह समय-समय पर अपनी किवता गाकर सुनाते, तो समां बंध जाता। तब मैं भी उन्हें टुकर-टुकर देखता। उन्हें सुनकर मेरे मन में एक गहरी कसमसाहट होती-'काश, मैं भी शिशु जी की तरह, ऐसा कुछ लिख पाता।

सन 1924 की बात है। देवबंद में देवीकुंड संस्कृत विद्यालय के आस-पास का जंगल का इलाका था। रात्रि में लगभग दो बजे का समय, अचानक आंख खुल गई, तो मैं उठकर अपनी कोठरी से बाहर चला गया। वहां एक अजब सन्नाटा था। न जाने कैसे सृजन की सुगंध और शब्दों की सस्वर गुनगुनाहट उस समय मेरे रोम-रोम में समा गई थी।

पता नहीं कितनी देर बाद, उसी गुनगुनाहट के साथ जब मैं वापस अपनी कोठरी में लौटा, तो मैंने 8-10 पंक्तियां कागज पर लिख लीं, जिन्हें मैं रात के सन्नाटे में गुनगुना रहा था। उनकी लय कुछ गजल की-सी, तो भाव कुछ प्रार्थना के से।

मैंने कई बार उन पंक्तियों को स्वयं ही पढ़ा, गाया, गुनगुनाया, दोहराया, देखा और चूमा भी। तब मन की गहराई से यह भाव उजागर हुआ-'ओह, मैं तो कवि हूं और अब मैं अपनी ही कविताएं नोटबुक में

लिखूंगा, शिशु जी की नहीं।' इसके बाद अपनी वही रचना मैंने शिशु जी को दिखाई, तो वह उसे देख-पढ़कर बेहद खुश हुए। मेरी पीठ थपथपाकर उस दिन उन्होंने मुझे जो दिशा-निर्देश दिया था, उसका सार कुछ इस प्रकार है-'सफलता का रहस्य इस बात में नहीं है कि किव कितने अच्छे भाव संग्रह करता है, बल्कि इसमें है कि वह अपने को कितना

निर्मल और कितना सरस और सरल बना पाता है। कविवर शिशु जी के इस परम पावन प्रोत्साहन से प्रेरित होकर तो मैं पूरी तरह से कविता लिखने में जुट गया। इस सीमा तक जुट गया कि अपनी संस्कृत की पढ़ाई से भी कहीं अधिक मैं प्रतिक्षण केवल कविता के बारे में ही सोचता और इसी को लिखता। कविता की इसी धुन में मैंने सैंकड़ों शब्दों में से 'उपनाम' भी उन्हीं दिनों चुन लिया था-'प्रभाकर', क्योंकि अपनी दृष्टि में तब मैं सूर्य के समान ही 'तेजस्वी'



2022 में भारत की अर्थव्यवस्था

आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत दुनिया की सबसे तेर्जी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। जबिक इसके बाद स्पेन और चीन का स्थान होगा।

8.5% 5.6% 5%

6.4%

स्रोत-IMF- (International Monetary Fund)

सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन नहीं, विवेकी व्यक्तियों का सत्संग भी विद्वान बनाने में सक्षम है। साहस ही कठिन परिस्थितियों में साथ देता है।

-यधिष्ठिर संवाद

पांडव अजातवास कर रहे थे। एक दिन वे तालाब से पानी पीने गए। वहां उपस्थित यक्ष ने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही पानी पी सकते हो। सभी पांडव विफल हो गए। अंत में युधिष्ठिर यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, 'अचानक आए संकट से

मनुष्य को कौन बचाता है?' धर्मराज का उत्तर था, 'साहस ही कठिन परिस्थितियों में साथ देता है।' दूसरा प्रश्न किया, 'किस शास्त्र को पढ़कर विद्वान बना जा सकता है?' उत्तर मिला, 'सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन नहीं, विवेकी व्यक्तियों का सत्संग भी विद्वान बनाने में सक्षम है।' अगला प्रश्न था, 'वायु से भी तेज गति किसकी



अंतर्यात्रा

तेजी से जला डालता है।'

अगला प्रश्न था, 'काजल से भी काला क्या है?' उत्तर मिला, 'कलंक। काजल को धोया जा सकता है, किंतु चरित्र पर लगा धब्बा धोया नहीं जा सकता। 'दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?'

होती है?' युधिष्ठिर का उत्तर था, 'मन

की।' अगला प्रश्न था, 'आग से तेज क्या

है?' उत्तर था, 'क्रोध अग्नि से अधिक

आंग्ल-मणिपुर युद्ध

में शहीद होने वाले

नायकों को

श्रद्धांजलि देने के

लिए हर साल 13

अगस्त को मणिपुर

में 'देशभक्त दिवस'

मनाया जाता है।

यक्ष के इस प्रश्न पर धर्मराज ने कहा, 'प्रतिदिन मृत्यु को देखकर भी मनुष्य जीवित रहना चाहता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है।

युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष गद्गद हो उठे और उन्होंने पानी पीने की अनुमति दे दी। (अमर उजाला आर्काइव से)



शिलालेख

मेरी छाती पर

हवाएं लिख जाती हैं

महीन रेखाओं में

अपनी वसीयत

और फिर हवाओं के झोंके ही

वसीयतनामा उड़ाकर

कहीं और ले जाते हैं।

खिताब से तय होगी देश में हॉकी की राह



आज से शुरू हो रहे हॉकी के जूनियर विश्व कप में भारत के पास मौका है कि वह टोक्यो ओलंपिक में सीनियर टीम को मिली सफलता को आगे बढ़ाए।

मनोज चतुर्वेदी

जुनियर विश्व कप

रत हॉकी का एक समय शहंशाह रहा है। स्त हाका का इस राम सहस्रा निकास लेकिन काफी समय तक सफलताओं के मुंह मोड़े रहने के बाद पिछले दिनों टोक्यो ओलंपिक में भारत के कांस्य पदक जीतने पर देश के हॉकी प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ी थी। भारत ने ओलंपिक में यह पदक चार दशक बाद जीता था। इस सफलता से देश की हॉकी को नई दिशा मिलना तय माना जा रहा है। भारत यदि भुवनेश्वर में 24 नवंबर से शुरू होने वाले एफआईएच पुरुष जूनियर विश्व कप में अपने खिताब की रक्षा कर लेता है, तो यह माना जाएगा कि हम सही दिशा में चल पड़े हैं। भारत ने 2016 में लखनऊ में हुए जूनियर विश्व कप में बेल्जियम को 2-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था। भारत को यह सफलता 2001 में होबार्ट

में खिताब जीतने के 15 साल बाद मिली थी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत को घर में अपने

चहेते दर्शकों के बीच खेलने का लाभ मिलेगा। पर

टीम की दिक्कत यह है कि वह कोरोना की वजह से इसकी तैयारी के लिए विदेशी दौरे नहीं कर सकी है। सीनियर टीम के टोक्यो ओलंपिक की तैयारी करते समय वह उसके साथ रही और उसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलने का अनुभव मिला है।

ध्यान में रखकर उन्हें जूनियर टीम के कोच बीजे करियप्पा का दिशा-निर्देशन करने के लिए जोड दिया गया है। वहीं जूनियर टीम की तैयारियों को ध्यान में रखकर सीनियर टीम के शिविर को भी साई बेंगलुरु से भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया।

भारतीय टीम की कमान विवेक सागर प्रसाद को सौंपी गई है। विवेक ने पिछले दिनों भारत को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। पर वह 2016 में विश्व जूनियर खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे, इसकी वजह उनका चोटिल हो जाना था। पर वह पिछले काफी समय से सीनियर टीम में खेल रहे हैं, इसलिए उनके अनुभव का लाभ बाकी खिलाड़ियों को भी मिलने की संभावना है। विवेक बहुत बढ़-चढ़कर बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम मैच दर मैच रणनीति बनाने में विश्वास करते हैं। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य अपने ग्रुप बी में पहला स्थान पाकर क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाना है। इसमें भाग लेने वाली टीमों को चार-चार के चार ग्रुपों में बांटा गया है। भारत को फ्रांस, पोलैंड और कनाडा

दिक्कत हो। क्वार्टर फाइनल में भी भारतीय टीम को पूल ए की दूसरे नंबर की टीम से भिड़ना है। इसका मतलब है कि वह चिली, मलयेशिया और दक्षिण अफ्रीका में से किसी एक टीम से भिड़ेगी, क्योंकि इस ग्रुप में बेल्जियम के टॉप पर रहने की पूरी संभावना है। सही मायनों में टीम की सही परीक्षा सेमीफाइनल में ही होने की उम्मीद है।

किसी भी टीम की सफलता में उसकी एकजुटता की अहम भूमिका होती है। मुझे याद है कि 2016 में खिताब जीतने वाली टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने टीम के प्रशिक्षण शिविर के दौरान यह व्यवस्था की थी कि एक कमरे में दो अलग-अलग राज्यों के खिलाड़ी रहें इससे खिलाड़ियों के संबंधों में प्रगाढ़ता आ गई थी इस बार टीम की तैयारी में ऐसा कुछ तो नहीं किया गया, पर इतना जरूर है कि खिलाड़ियों के लंबे समय तक शिविर में एक साथ रहने से आपसी सद्भाव बन

इस विश्व कप में भारत की परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तानी टीम भी भाग ले रही है। पाकिस्तानी टीम लंबे समय के बाद भारत आई है, इसकी वजह दोनों देशों के बीच खटास भरे संबंध होना है। यह सही है कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों को बेहद दिलचस्पी के साथ देखा जाता है। पर इस विश्व कप में सेमीफाइनल से पहले दोनों के टकराने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, अर्जेंटीना और पाकिस्तान ही ऐसी टीमें हैं, जो भारत की खिताबी राह में रोड़ा बन सकती हैं।

इससे विदेशी दौरे नहीं कर पाने की कुछ भरपाई तो

हुई है। इस दौरान टीम को सीनियर टीम के कोच ग्राहम रीड से भी सीख मिलती रही थी, इसको ही

के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। इस ग्रुप में कोई भी टीम ऐसी नहीं है, जिससे भारत खतरा महसूस कर सके। इसलिए भारत के ग्रुप में शिखर पर रहकर क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने में शायद ही कोई